उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-11/2016/495/तीस-4-2016-8(4-क)पी/68टीसी

लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2016

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59 सन् 1988) की धारा-88 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश सरकार एवं बिहार सरकार के बीच किये जाने वाले करार का प्रस्तावित प्रारूप अभ्यावेदनों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से सरकारी अधिसूचना संख्या-1039/30-4-2012-8(4-क) पी/68टीसी, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश के गजट में और करार द्वारा आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषा के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये थे,

और चूँकि, प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है,

और चूँकि, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के बीच निम्नलिखित करार किया जा चुका है,

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा-88 की उप धारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच सड़क परिवहन के मामले में किये गये समस्त पूर्ववर्ती द्विपक्षीय करार अवक्रमित करते हुए राज्यपाल उक्त करार को निम्न प्रकार प्रकाशित करते हैंः

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता

यह करार आज दिनांक 06 मई, 2016 को प्रधान सचिव, बिहार सरकार, परिवहन विभाग के माध्यम से बिहार के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''बिहार सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''उत्तर प्रदेश सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों और माल के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है।

और चूँकि, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अधिक्रमण करके समान्यतः लोकहित में नया पारस्परिक करार एतद्पश्चात उपसंजात होने वाले निबंधन एवं शर्तो पर करना आवश्यक है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य अब पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया जाता हैः

1. यह करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. अस्थायी परमिट जारी किये जाने की सामान्य सहमति

मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 88(7) में प्रावधानित है कि धारा 88(1) में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी एक संभाग का संभागीय परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र, जो दूसरे संभाग या राज्य में विधिमान्य होगा, उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा मामला हो, की सहमति से सामान्यतया या विशिष्ट अवसरों के लिए जारी कर सकेगा। अधिनियम के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया कि दोनों राज्यों के संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण इस करार के खण्ड 4 व 6 के उपबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना मालयान और ठेका गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन पांच वर्ष का मालयान अनुज्ञा पत्र

(एक) यह करार पाया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मालयान परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण

http://shasanadesh.up.nic.in

बिहार में वैध होंगे तथा इसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वैध होंगे। सम्बन्धित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति पर इन परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर संचालित मालयान का उपयोग करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसा सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 व 84 के अन्तर्गत अधिरोपित करना उचित समझे।

4. मालयान (अस्थायी अनुज्ञा पत्र)

(एक) उपरोक्त खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दोनों में से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र/मार्ग, जैसा परमिट पर विनिर्दिष्ट हो, पर संचालन हेतु अधिनियम की धारा 87 के अनुसार तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य मालयान अस्थायी अनुज्ञा–पत्र, उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(दो) यह अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी किये जायेंगेः–

(क) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा अर्थात ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध रहेंगे।

(ख) प्रचालक किसी अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना समझे, पालन करेगा।

(ग) जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या नजदीकी परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 के अधीन पांच वर्षीय मोटर कैब अनुज्ञा–पत्र

ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा–पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्गों के लिए किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तो के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को न ही चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

6(1). ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र

उपरोक्त खण्ड (2) के अध्यधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी किये जा सकेंगे। यद्यपि, यदि किन्ही कारणवश एक राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की वैधता दूसरे राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो, परिवहन प्राधिकारी, जिसके अधिक्षेत्र में उस समय वाहन हो, से आवश्यक फीस व कर की अदायगी पर नया अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(एक) ऐसे अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होंगेः–

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात नहीं किया जाऐगा।

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जाएगी तथा एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी।

(दो) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञापत्र मंजूर करने के पश्चात वापसी यात्रा का दिनांक बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस आशय की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा–पत्र

किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या का निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए वैध होंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा

http://shasanadesh.up.nic.in

में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या नजदीकी परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को दिया जायेगा। यदि इस प्रकार जमा कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे नगद में आगणित और वसूल किया जायेगा जिसके लिए विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

7 कराधान

(एक) विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर संचालित विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में करारकर्ता राज्य के करों का भुगतान सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(दो) परन्तु, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जांय, करारकर्ता राज्य में उदग्रहणीय समस्त करों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

8 करों के संदाय का प्रकार

(एक) उत्तर प्रदेश के लिए

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से ई–भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट, जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं। सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय अथवा परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल आगे की यात्रा से पूर्व करारकर्ता राज्य अपने करों की वसूली की अपेक्षा करेगा।

ई–भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा करों के अग्रिम भुगतान की स्थिति में ई–भुगतान का विवरण अथवा प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट जिनके द्वारा दूसरे राज्य के करों का भुगतान किया गया हो, की संख्या, दिनांक व धनराशि का विवरण अनुज्ञा पत्र के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार को भेजा जायेगा और उत्तर प्रदेश की दशा में परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जायेगा।

प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी, ई–पेमेन्ट द्वारा अग्रिम भुगतान न किये जाने की दशा में ऐसा अनुज्ञा पत्र जारी करते समय स्वामी/चालक को आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले सीमा पर अवस्थित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन

http://shasanadesh.upnic.in

अधिकारी के कार्यालय अथवा परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को करों के भुगतान हेतु निर्देशित करेगा।

(दो) बिहार के लिए

यदि बिहार राज्य का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति बिहार राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, बिहार के नाम से जो पटना में भुगतान योग्य हो, देय होगा। आरटीए/एसटीए कार्यालय में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक माह के अन्त में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कोर बैंकिंग नम्बर में जमा कराये जायेंगे।

ऐसे अनुज्ञा पत्र जिसका प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हो, का कर राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करते समय डिमान्ड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संग्रहित किया जायेगा।

(तीन) सभी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों और विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां, ई–भुगतान अथवा भारत के किसी निर्धारित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार को तत्काल भेजी जायेंगी और उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा पत्रों/विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां ई–भुगतान अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के विवरण सहित परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मासिक अन्तराल में भेजा जायेगा।

9– मंजिली गाड़ी

मंजिली गाड़ी का संचालन निम्नलिखित रीति से शासित होगाः–

(एक) उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों का संचालन अनुलग्नक ''क'' और ''ख'' में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर फेरों की संख्या यथास्थिति प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले किलोमीटर के आधार पर निर्धारित होगी। मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय–छः के अधीन करारकर्ता राज्यों द्वारा बनायी गयी योजना के आधार पर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य परिवहन निगम से भिन्न संचालक यथा सेमी गवर्नमेन्ट, ज्वाइन्ट वेन्चर, निजी संचालक आदि को भी अनुमन्य किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव न हो और सम्बन्धित राज्य के लिए अनुलग्नक में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध हो तो गृह राज्य अधिनियम की धारा 87(1)(ग) के अधीन अधिकतम चार माह की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

करारकर्ता राज्य को सूचित कर जारी कर सकेगा। इस खण्ड के अधीन स्वीकृत/जारी अनुज्ञा पत्र पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

यह उपबंधित है कि, कोई वाहन, मालिक द्वारा अन्डरटेकिंग के नियंत्रणाधीन और अधिकार में दिया जाय, तो अंडरटेकिंग द्वारा उक्त वाहन के उपयोग के लिये अंडरटेकिंग और ऐसे मालिक के बीच हुयी व्यवस्था के अधीन, ऐसे वाहन को इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परिशिष्ट–क में वर्णित मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जायेगी।

(दो) यदि किसी कारण से अनुज्ञा–पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन–पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो करारकर्ता राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 87(1)(घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र, मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा– 81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(तीन) नियमित/अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर परमिटधारक सम्बन्धित राज्य के समक्ष प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(चार) करारकर्ता राज्य की मंजिली गाड़ियों में सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित लोगो व लीजेन्ड प्रदर्शित किया जायेगा।

(पांच) इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य एकल फेरा से है। अनुलग्नक में उल्लिखित मार्गो का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो छोरों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है और अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग की लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के मध्य तत्परता से पत्र–व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(छः) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल औपबन्धिक आधार पर किया जायेगा जो अधिकतम चार मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञापत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय–सारिणी को अन्तिम रूप देगा।

(सात) किराया, भाड़ा, कर और बस स्टाप/स्टेशन, संबंधित राज्य द्वारा समय–समय पर विहित उपबन्धों/व्यवस्था के अनुसार होगा। एक राज्य से जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(आठ) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित राज्य में अवस्थित मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए कोई प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(नौ) यथास्थिति करारकर्ता राज्य के सचिव/प्रमुख सचिव/प्रधान सचिव, सभी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर लिखित रूप से आपसी सहमति पर, नये मार्गों के संचालन एवं विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया यह कृत्य समझौते का अंश समझा जायेगा।

(दस) एक वाहन एक परमिट से आच्छादित होगा।

10— प्रतिहस्ताक्षर

एक राज्य द्वारा पारस्परिक परिवहन समझौते के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र, सम्बन्धित राज्य के सचिव, संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस व अन्य देय करों के भुगतान के अध्यधीन सामान्यतया निस्तारित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

11— सामान्य

(एक) सम्बन्धित करारकर्ता राज्य इस करार के अनुसार चल रहे यान के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के सम्बन्धित नियमों के अध्यधीन जारी टैक्स टोकन, चालक व कन्डक्टर लाइसेन्स, परिवहन यान अधिकार पत्र, बैज, स्वस्थता प्रमाण—पत्र आदि को मान्यता देंगे।

(दो) यदि कोई परमिटधारक किसी एक राज्य द्वारा जारी एवं दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र के आधार पर संचालन कर रहा हो, दूसरे राज्य के कर की अदायगी करने में असफल रहता है और उसके बाद संचालन बन्द कर देता है तो ऐसे चूककर्ता से कर की वसूली में दोनों राज्य एक—दूसरे की सहायता करेंगे।

(तीन) आम यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर यह भी करार पाया गया कि पर्यावरणीय प्रदूषण व अन्य अधिनियम/नियमों का उल्लंघन न होः—

(क) पांच वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 620 किलोमीटर होगी।
(ख) पांच वर्ष से दस वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 400 किलोमीटर होगी।
(ग) दस वर्ष से बारह वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 250 किलोमीटर होगी।
(घ) बारह वर्ष से अधिक आयु सीमा की वाहन को अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

http://bhasanadesh.upnic.in

(चार) यह पारस्परिक परिवहन करार सरकारी गजट में इस करार के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा तथा अगले 10 वर्ष या उस समय तक जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार न हस्ताक्षरित हो जाय, जो भी पहले हो, तक विधिमान्य रहेगा। जब कभी जरूरत उत्पन्न हो यह करार पुनरीक्षित किया जा सकता है या किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप से दूसरे पक्ष को छः माह की पूर्व सूचना देकर विखण्डित किया जा सकेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं:

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

साक्षी

(अनिल कुमार मिश्र),
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

बिहार के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार सरकार।

साक्षी

(अरूण कुमार प्रसाद),
अपर सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार सरकार।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक–क

एसटीयू के संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्र. सं.	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (किमी0)				परमिटों की संख्या		फेरों की संख्या		संचालित किमी0	
		बिहार	यू.पी.	झारखण्ड	योग	बिहार	यू.पी.	बिहार	यू.पी.	बिहार द्वारा यू.पी. में	यू.पी. द्वारा बिहार में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना–वाराणसी वाया आरा, बक्सर	138	132	00	270	8	7	16	14	2112	1932
2	दरभंगा–भदोही वाया वाराणसी, सेवापुरी	277	179	00	456	2	0	2	0	358	0
3	गया–सारनाथ वाया वाराणसी, औरंगाबाद, डेहरी	222	60	00	282	7	2	14	4	840	888
4	पटना–आरा–बलिया वाया बक्सर	117	35	00	152	14	5	28	10	980	1170
5	छपरा–गोरखपुर	115	101	00	216	8	8	16	16	1616	1840
6	सिवान–गोरखपुर	37	105	00	142	2	4	4	8	420	296
7	मोतिहारी–गोरखपुर	108	101	00	209	2	1	4	2	404	216
8	रक्सौल–गोरखपुर वाया गोपालगंज, सलेमगढ़, कसया	160	101	00	261	2	0	4	0	404	0
9	रक्सौल–गोरखपुर वाया मोतीहारी	207	101	00	308	3	2	3	2	303	414
10	देवरिया–पटना	177	43	00	220	7	4	14	8	602	1416
11	वाराणसी–डेहरी	198	50	00	248	5	4	10	8	500	1584
12	रामनगर–भभुआ वाया जमालपुर, सिन्देरपुर, भीखमपुर, चकिया, बेन, धरौली	25	45	00	70	1	0	4	0	180	0
13	आरा–वाराणसी	78	132	00	210	1	0	2	0	264	0
14	बलिया–बक्सर वाया फेफना, बयानी, चितबड़ागांव, भरौली	5	31	00	36	1	4	8	32	248	180
15	अलीनगर–डेहरी	91	29	00	120	3	1	6	2	174	182

http://shasanadesh.up.nic.in

16	भभुआ–वाराणसी वाया धरोली, चन्दौली	28	50	00	78	2	3	8	12	400	336
17	पटना–गोरखपुर वाया हाजीपुर, सिवान, देवरिया	268	112	00	380	12	6	12	6	1344	1608
18	भभुवा–वाराणसी वाया नौबतपुर	38	44	00	82	2	4	6	12	264	456
19	मुजफ्फरपुर–गोरखपुर वाया अलेमपुर, पिपराकोठी	159	101	00	260	2	2	4	2	404	318
20	रक्सौल–गोरखपुर वाया पिपराकोठी, गोपालगंज	154	101	00	255	4	2	8	4	808	616
21	बक्सर–उजियारघाट	5	4	00	9	2	2	12	6	48	30
22	छपरा–बलिया वाया बैरिया	7	50	00	57	1	4	4	20	200	140
23	आजमगढ–मुजफ्फरपुर वाया बलिया, माझीघाट	142	168	00	310	2	0	4	0	672	0
24	वाराणसी–गया वाया औरंगाबाद	166	81	00	241	2	2	4	4	324	664
25	लखनऊ–वाराणसी–गया वाया औरंगाबाद	166	302	00	468	2	2	2	2	604	332
	योग–	**3088**	**2258**	**00**	**5340**	**97**	**69**	**199**	**174**	**14473**	**14598**

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुलग्नक–ख

निजी संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्र. सं.	मार्गों का नाम	दूरी (किमी0 में)				फेरों की संख्या		परमिटों की संख्या		कुल संचालन(किमी0 में)	
		उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखण्ड	योग	उत्तर प्रदेश	बिहार	उत्तर प्रदेश	बिहार	उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार में	बिहार द्वारा उत्तर प्रदेश में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	बरहज–सलेमपुर–प्रतापपुर फैक्ट्री– मैरवा–सिवान	57	23	00	80	22	08	11	4	506	456
2	सलेमपुर–भिंगारी–भवानीछापर–मीरगंज–हथुवा–सिवान	32	50	00	82	10	14	5	7	500	448
3	समउर–पड़रौना–छितौनी– बगहा	66	30	00	96	18	08	9	4	540	528
4	गोरखपुर–कप्तानगंज–छितौनी घाट–बगहा	78	30	00	108	24	10	12	5	720	780
5	बलिया–बक्सर वाया भरौली बार्डर	35	05	00	40	30	4	15	2	150	140
6	बलिया–छपरा वाया माझीघाट	50	20	00	70	10	4	5	2	200	200
7	मऊ–गहमरवाड़ा वाया बहादुरगंज, सलामतपुर, सिघारघाट, रसड़ा, प्रधानपुर, लट्टूडीह बलवरिया, बसनिया, भरौली, बक्सर	93	05	00	98	16	0	8	0	80	00
8	वाराणसी–बक्सर वाया बारा, चौसा	120	14	00	134	12	2	6	1	168	240
9	वाराणसी–डेहरी वाया सासाराम, मोहनिया, भभुआ, कर्मनाशा, सैयदराजा, चन्दौली	50	198	00	248	0	2	0	1	0	100
	योग–	**581**	**375**	**00**	**956**	**142**	**52**	**71**	**26**	**2864**	**2892**

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2016/495(1)/तीस-4-2016-8(2)/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 23 मई, 2016 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-11/2016/495(2)/तीस-4-2016-8(2)/16 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.11 /2016/495/XXX-4-2016-8(4-Ka) P/68TC dated May 23, 2016.

Notification

No.11/2016/495/XXX-4-2016-8(4-Ka) P/68TC

Lucknow: Dated May 23, 2016

WHEREAS as per the requirement of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) proposed draft of the agreement to be entered into between the Government of Uttar Pradesh and the Government of Bihar was published vide Government notification no.1039/XXX-4-2012-8(4-Ka) P/68TC, dated December 19, 2012 in the Gazette of Uttar Pradesh and in different news papers in regional languages circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement with a view to inviting representations,

AND WHEREAS the representations so received in respect of proposed agreement have been considered,

AND WHEREAS Government of Uttar Pradesh and Government of Bihar have entered into an agreement as follows;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (6) of section 88 of the said Act and in supersession of all previous reciprocal agreement the Governor is pleased to publish the said agreement as hereunder:-

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF BIHAR AND UTTAR PRADESH

This Agreement is made on the day of 06 May, 2016 between the Governor of Bihar through Principal Secretary, Department of Transport, Government of Bihar (hereinafter referred to as "the Government of Bihar", which expression shall include its successors in office) of the one part and the Governor of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Department of Transport, Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the Government of Uttar Pradesh", which expression shall include his successors in office) of the second part.

WHEREAS, it is expedient in view of the contiguity of the States of Bihar and Uttar Pradesh and rapid economic development of the country, to encourage the interstate transport of the passengers and goods between the States of Bihar and Uttar Pradesh and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal agreement between the two States,

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

AND WHEREAS, it is necessary in the interest of the public in general to enter into a fresh reciprocal agreement, in super-session of all previous agreements on the subject, between the State of Bihar and Uttar Pradesh on the terms and conditions hereinafter appearing.

IT IS NOW MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE ABOVE PARTIES AS FOLLOWS

1. This Agreement shall come into force from the date of publication of this agreement in Official Gazette.

2- General Concurrence for Issue of Temporary Permits

Section 88(7) of the Motor Vehicle Act, 1988 (hereinafter referred to as "Act") provide that notwithstanding anything contained in section 88(1) , a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under section 87 to be valid in another Region or State with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other Region or of the State Transport Authority of that other State, as the case may be.. In view of this specific provision of the Act, it was agreed that Regional/State Transport Authority of both the States may issue temporary permits for goods carriages and contract carriages in pursuance of clauses 4 and 6 of this agreement as per need without requirement of countersignature under section 88(1) of the Act.

3- Goods Carriage 5 Years Permit Under Section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988

(i) It is agreed that the Goods Carriage permits granted by State Transport Authority, Uttar Pradesh shall be valid for whole of Bihar State subject to the countersignature by the State Transport Authority, Bihar, vice-versa permits granted by State Transport Authority, Bihar shall be valid for whole of the Uttar Pradesh subject to the countersignature by the State Transport Authority, Uttar Pradesh. These permits shall be countersigned by the Transport Authorities of the other State on the recommendations of the State/Regional Transport Authority concerned.

(ii) The goods carriage operating under countersigned permits shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State, that is to say, in such cases vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transporting goods exclusively within the territory of the countersigning State and shall be subject to such conditions as the concerned Transport Authority may deem fit to impose under section 79 and 84 of the Act.

4- Goods Carriage (Temporary Permit)

(i) Subject to the provisions of clause (2) above, Goods Carriage permits as per need may be issued for a period not exceeding 30 (Thirty) days by either State in accordance with the provisions of section 87 of the Act for plying on areas/routes in the other State as specified in the permit without any restriction on the number of permits and trips.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ii) These permits shall be issued subject to the following conditions:-

(a) That no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such vehicle shall be prohibited from carrying on any business of transport exclusively within the territory of the other State.

(b) That an operator shall abide by any other conditions which the Authority may deem fit to impose under section 79(2) of the Act.

(c) So for as Uttar Pradesh is concerned tax payable to Government of Uttar Pradesh in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh. The bank drafts shall be handed over by the driver or person incharge of the vehicle on the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith.

5 Motor Cab Five Years Permit under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988

The permits for motor cab contract carriage without restriction on their number belonging to each States shall be countersigned by the Transport Authority of the other State on the recommendation of the Regional/State Transport Authority concerned for the area/routes specified in the permit. The countersignatures shall be subject to the condition that the vehicle will not pick up or set down any **passenger** between any two points within the territory of the other State.

6(1) Contract Carriage Temporary Permit

Subject to the provision of Clause (2) above, contract carriage temporary permits may be issued as per need by a Transport Authority of one State for a specific route connecting the specified terminals in the reciprocating State. However, if for some reason the validity of the permit issued by one State expires in the territory of other State, a fresh temporary permit shall be obtained from the Transport Authority within whose jurisdiction the vehicle happens to be at that time after the payment of necessary fees and taxes.

(i) Such temporary permits shall be subject to the following conditions;

(a) Such temporary permit shall be valid for a period not exceeding fifteen days.
(b) Passengers in excess of the seating capacity specified in the registration certificate shall not be carried and no standing passengers shall be allowed.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(c) The contract carriage shall be hired by a single party and shall be used for a single return journey.

(ii) Such temporary permits shall clearly specify the date of the outward and the date of the return journey. In case a certain party engaging a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit, it shall obtain permission in writing to that effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at that time.

(2) Special Permits Under Section 88(8) of the Motor Vehicles Act, 1988

There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under section 88(8) of the Act by the Transport Authorities of either State. Such permits shall be valid for a period not exceeding thirty days in the reciprocating State.

So for as Uttar Pradesh is concerned tax payable to Government of Uttar Pradesh in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permit number shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarter of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh. The bank drafts shall be handed over by the driver or person incharge of the vehicle on the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith.

7- Taxation

(i) The taxes of the reciprocating State in respect of different types of vehicle operating on various class of permits will be payable as per provisions of Taxation Act and Rules of the respective State.

(ii) However, all types of motor vehicles other than those used for commercial purposes exclusively owned by and used for the purposes of Government of one State shall be exempted from payment of all the taxes leviable in the reciprocating State.

8- Mode of Payment of Taxes

(i) <u>For Uttar Pradesh</u>

The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating State are paid in advance either by e-payment or Demand Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India. Reciprocating State shall require recovery of its taxes at border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

In case advance payment of taxes either by e-payment or Demand Draft the details of e-payment or the number, date and amount of each demand draft through which taxes of the other State has been remitted shall be clearly endorsed on the face of the permits and same be sent to the Secretary, State Transport Authority, Bihar and in case of Uttar Pradesh shall be sent to the Transport Commissioner (Central pool), Uttar Pradesh, Lucknow.

In case where advance payment has not been made through e-payment, the Transport Authority of each State granting such permit shall direct the owner/driver to pay the taxes at the border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey.

(ii) <u>For Bihar</u>

In case of Bihar is concerned, tax payable to Bihar Government in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permit number shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilized against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The Bank Draft shall be drawn in the name of the Transport commissioner, Bihar payble at Patna. At the end of each month , the Bank Draft received at RTA/ STA office shall be deposited in the core Banking Account Number of State Transport Commissioner, Bihar.

In case of permits which require counter signature tax shall be collected in STA Bihar at the time of counter signature by means of demand Draft payable at any nationalized bank.

(iii) Copies of all temporary permits and special permits together with details of e-payment or Demand Drafts drawn on any Scheduled Commercial Bank of India and other relevant information shall immediately be sent to the Secretary, State Transport Authority, Bihar and in the case of Uttar Pradesh copies of such temporary permits/special permits shall be sent to the Transport Commissioner (Central Pool) Uttar Pradesh Lucknow alongwith details of e-payment or Demand Drafts at monthly intervals.

9- Stage Carriage

The operation of stage carriages shall be governed in the following manner:-

(i) The operation of stage carriages on interstate routes between State of Uttar Pradesh and Bihar shall be according to details contains in Appendix A and B . The number of trips allocated for each State on each interstate route shall be fixed, as far as possible according to the kilometrage falling in each State. On nationalized routes the operators, other than the State Transport Corporation i.e. semi-government, joint ventures, private operators, etc. may also be permitted to operate as per scheme prepared by the reciprocating States under chapter VI of the Motor Vehicles Act, 1988 in this respect. If for any reason, it has not been possible to decide an application for grant of the permit and vacancy available within the

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

quota allocated to the State concerned as per Appendix, the home State may issue temporary permits under Section 87(1) (c) of the Act for a maximum period upto four months under intimation to the reciprocating State. Permits granted/issued under this clause shall require counter-signature of the reciprocating State. "

It is provided that any vehicle, placed at the disposal and under the control of Undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement entered into between such owner and the Undertaking for the use of the said vehicle by the Undertaking, shall also be permitted to operate on routes described in Appendix-A notwithstanding anything contained in this Agreement.

(ii) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under Section 87(1) (d) of the Act for a period upto four months under intimation to the reciprocating state and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require counter-signature of the reciprocating State.

Provided that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal applications under section 81(2) of the Act.

(iii) Within 15 days from the date of issue regular/temporary permit the permit holder will have to submit application for countersignature to concern State otherwise granted permit may be revoked,

(iv) The stage carriages of reciprocating State will have to display logo or legend as prescribed by the State Transport Authorities of the concerned State.

(v) A trip for the purpose of this Agreement will mean one single trip. The route mentioned in appendix always mean the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States through vias mentioned and any discrepancy discovered later in the kilometrage . shown in the said appendix shall promptly be corrected through correspondence between Transport Authorities of the two States and shall not be treated as modification of the Agreement.

(vi) The initial time table shall be fixed by the permit granting authority on purely provisional basis, which shall be valid for a maximum period of four months, and shall be countersigned as such, to enable immediate operation of the service. During this period the countersigning authority shall in consultation with the permit granting authority finalise the time table.

(vii) Fares, freights, tax and bus stops/stations shall be in accordance with the prevalent provisions/arrangement in respective States from time to time. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(viii) No restriction shall be imposed by Countersigning Authority to pickup or setting down passengers on the portion of such route lying in concerned States

(ix) The Secretary/Principal Secretary of the reciprocating States may, after completing necessary legal requirement, provide for operation on new routes and increase the trips on existing routes by mutual agreement in writing and such action taken by them shall be deemed to be part of this Agreement.

(x) One permit shall be covered by one vehicle.

10. Countersignature

Permits issued within the terms of reciprocal agreement by a State should normally be disposed of /countersigned immediately on presentation before the Regional/State Transport Authority on the recommendations of the Secretary, Regional/State Transport Authority of the concerned States subject to payment of countersignature fee and other taxes due to the respective State.

11- General

(i) The respective reciprocating State shall accord recognition to the tax token, driver's and conductor's license, transport vehicle authorization, badge, certificate of fitness etc. issued under the relevant rules of each of two States in respect of their vehicles plying in accordance with this Agreement.

(ii) If the permit holder of a vehicle operating under permit issued by one State and countersigned by the other State fails to pay the taxes of the other State and after coming into arrears stop the operation, both the States shall assist each other in recovery of the tax from such defaulter.

(iii) With a view to provide comfortable and safe journey to the common passengers it is also agreed on the following point provided that it is not in violation of environmental pollution and other acts / rules:-

(a) Up to age of 5 years of the vehicles maximum operational distance will be up to 620 K.M. distance including up & down service.
(b) Up to age of 5 to 10 years of the vehicles maximum operational distance will be up to400 K.M. distance including up & down service.
(c) Up to age of 10 to 12 years of the vehicles maximum operational distance will be up to250 K.M. distance including up & down service.
(d) No inter state permit shall be granted against the vehicles having age of more than 12 years.

(iv) This reciprocal Agreement shall come into force from the date of publication of this Agreement in Official Gazette and shall be valid for next ten years or till such time, a new Agreement is signed between the parties here to, which ever is earlier. This Agreement can be reviewed as and when need arises or may be rescinded for reasons to be given in writing by either party on six months prior notice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed this Agreement on this day first above written:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

For and on behalf of the
Governor of Uttar Pradesh

(Kumar Arvind Singh Dev)
Principal Secretary ,
Transport Department
Government of Uttar Pradesh

Witnesses

(Anil Kumar Mishra)
Secretary,
State Transport Authority,
Uttar Pradesh

For and on behalf of the
Governor of Bihar

(Sujata Chaturvedi)
Principal Secretary ,
Transport Department
Government of Bihar

Witnesses

(Arun Kumar Prasad)
Additional Secretary,
Transport Department,
Government of Bihar

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Appendix-A

Details of routes for operation of STU's

S. No.	Name of routes	Distance of Routes (k.m)				Number of permits		Number of trips		Operated km	
		Bihar	U.P	Jharkhand	Total	Bihar	Uttar Pradesh	Bihar	Uttar pradesh	By Bihar in UP	By UP in Bihar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Patna-Varanasi via Arrah, Buxar	138	132	00	270	8	7	16	14	2112	1932
2	Darbhanga-Bhadohi via Varanasi, Sevapuri	277	179	00	456	2	0	2	0	358	0
3	Gaya-Sarnath via Varanasi, Aurangabad, Dehri	222	60	00	282	7	2	14	4	840	888
4	Patna-Arrah-Ballia via Buxar	117	35	00	152	14	5	28	10	980	1170
5	Chapra-Gorakhpur	115	101	00	216	8	8	16	16	1616	1840
6	Siwan-Gorakhpur	37	105	00	142	2	4	4	8	420	296
7	Motihari-Gorakhpur	108	101	00	209	2	1	4	2	404	216
8	Raxaul-Gorakhpur via Gopalganj, Salemagarh, Kashiya	160	101	00	261	2	0	4	0	404	0
9	Raxaul-Gorakhpur via Motihari	207	101	00	308	3	2	3	2	303	414
10	Deoria-Patna	177	43	00	220	7	4	14	8	602	1416
11	Varanasi-Dehri	198	50	00	248	5	4	10	8	500	1584
12	Ramanagar-Bhabhua, via Jamalpur, Sinderpur, Bhikhampur, Chakia, Ben, Dharauli	25	45	00	70	1	0	4	0	180	0
13	Arrah-Varanasi	78	132	00	210	1	0	2	0	264	0
14	Ballia -Buxar via Phephna,	5	31	00	36	1	4	8	32	248	180

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Biayani, Chitbara gaon, Bharoli										
15	Alinagar-Dehri	91	29	00	120	3	1	6	2	174	182
16	Bhabhua-Varanasi via Dharoli, Chandauli	28	50	00	78	2	3	8	12	400	336
17	Patna-Gorkhpur via Hajipur, Siwan, Deoria	268	112	00	380	12	6	12	6	1344	1608
18	Bhabhua-Varanasi, via Naubatpur	38	44	00	82	2	4	6	12	264	456
19	Muzuffarpur-Gorakhpur via Alempur, Piprakothi	159	101	00	260	2	2	4	2	404	318
20	Raxul-Gorakhpur via Piprakothi, Gopalganj	154	101	00	255	4	2	8	4	808	616
21	Buxar-Ujiyarghat	5	4	00	9	2	2	12	6	48	30
22	Chhapra- Ballia via Baria	7	50	00	57	1	4	4	20	200	140
23	Azamgarh-Muzuffarpur via Ballia, Majhighat	142	168	00	310	2	0	4	0	672	0
24	Varanasi-Gaya via Aurangabad	166	81	00	241	2	2	4	4	324	664
25	Lucknow-Varanasi-Gaya via Aurangabad	166	302	00	468	2	2	2	2	604	332
	Total	**3088**	**2258**	**00**	**5340**	**97**	**69**	**199**	**174**	**14473**	**14598**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Appendix-B

Details of routes for private operation

S. No.	Name of routes	Distance (in Kms)				Number of trips		Number of permits		Total operation (in Kms.)	
		Uttar Pradesh	Bihar	Jharkhand	Total	Uttar Pradesh	Bihar	Uttar Pradesh	Bihar	Uttar Pradesh in Bihar	Bihar in Uttar Pradesh
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Barhaj-Salempur-Pratappur Factory – Mairva-Sivan	57	23	00	80	22	08	11	4	506	456
2	Salempur-Bhingari-Bhawani Chhapar-Meerganj-Hathuva-Sivan	32	50	00	82	10	14	5	7	500	448
3	Samaur-Padrauna-Chhitauni-Bagha	66	30	00	96	18	08	9	4	540	528
4	Gorakhpur-Kaptanganj-Chhitauni Ghat- Bagha	78	30	00	108	24	10	12	5	720	780
5	Balia-Buxar via Bharoli Border	35	05	00	40	30	4	15	2	150	140
6	Ballia-Chhapra via Majhighat	50	20	00	70	10	4	5	2	200	200
7	Mau-Gahmarvara via bahadurganj, Salamatpur-Singharghat, Rasra-Pradhanpur, Lattudeeh, Balwaria, Basania, Bharoli, Baxur	93	05	00	98	16	0	8	0	80	00
8	Varanasi-Buxar via Bara Chausa	120	14	00	134	12	2	6	1	168	240
9	Varanasi-Dehri via Sasaram, Mohania, Bhabhua, Karmnasha, Saiyadraja, Chandauli	50	198	00	248	0	2	0	1	0	100
	Total-	**581**	**375**	**00**	**956**	**142**	**52**	**71**	**26**	**2864**	**2892**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।